संख्या-18/2015/क0नि0-4-601/11-14-300(1)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 27 मार्च, 2015

विषयः- वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य MPLS-VPN कनेक्टिविटी BSNL को रू0 52,04,729/- के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-मिशन मोड (लीज लाइन)/2014-15/1029/वाणिज्य कर, दिनांक 24 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत मानक मद सं0-13-टेलीफोन पर व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़) शासनादेश संख्याः क0नि0-4-465/11-14-300(32/2013, दिनांक 07-04-2014 एवं शासनादेश संख्याः क0नि0-4-860/11-14-300(32)/2013, दिनांक 23-07-2014 द्वारा आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है, उक्त अवमुक्त धनराशि में से वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य MPLS-VPN कनेक्टिविटी हेतु BSNL को रू0 52,04,729.00 (रूपये बावन लाख चार हजार सात सौ उनतीस मात्र) का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.3.2015 तक कर लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः बी-1-2457 /दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2015/क0नि0-4-601(1)/11-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।